अभियंता प्रमुख का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश सं0–निग/सारा–4 (पथ)–66/2003 पटना, दिनांक :– 19/02/2026

कार्यालय आदेश –57

श्री राजेन्द्र प्रसाद पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रतिः सेवानिवृत कनीय अभियंता (दिनांक–31.01.2016) के विरूद्ध पथ प्रमंडल, सुपौल के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए कार्यालय आदेश संख्या–263–सह–पठित ज्ञापांक–9181 दिनांक–22.10.1999 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में कार्यालय आदेश संख्या–267–सह–पठित ज्ञापांक–3647 (ई०) अनु० दिनांक–01.09.2010 के द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंधी एक अनुपूरक आरोप भी सम्मिलित की गयी। श्री पासवान के सेवानिवृति के फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–10–सहपठित ज्ञापांक–842 (ई०) दिनांक 07.02.2023 के द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित की गयी। समय–समय पर संचालन पदाधिकारी के स्थानांतरण एवं सेवानिवृति के फलस्वरूप भिन्न–भिन्न कार्यालय आदेशों द्वारा संचालन पदाधिकारी को बदला गया। अंतिम रूप कार्यालय आदेश संख्या–01–सह–पठित ज्ञापांक–39 (ई) दिनांक–03.01.2024 द्वारा श्री बब्लू कुमार, अधीक्षण अभियंता (योजना), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में आरोप की बिन्दु निम्नवत है :–

(i) विभागीय पत्रांक–7454 दिनांक–11.11.1996 द्वारा श्री पासवान की सेवायें उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा से वापस लेते हुए केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना को सौपी गई थी। उसके बाद भी उनके द्वारा नवपदस्थापित स्थान पर योगदान समर्पित नहीं किया गया। इस प्रकार उनके द्वारा सरकारी आदेश की अवहेलना की गई।

(ii) उक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल के पत्रांक–347 दिनांक–22.06.1999 के द्वारा उन्हें विरमित किये जाने एवं अनेकों बार लेखा समर्पित किये जाने से संबंधित कार्यपालक अभियंता के आदेश के बाद भी उनके द्वारा लेखा समर्पित नहीं किया गया एवं वे विरमित नहीं हुए एवं कार्यपलक अभियंता के पत्र को प्राप्त करने से इन्कार किया गया। इस प्रकार उनके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई।

(iii) कार्य प्रमंडल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, दरभंगा/मधुबनी के पदस्थापन काल में वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा द्वारा विभाग में योगदान देने के लिए विरमित कर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिस्थानी को प्रभार नहीं सौंपने के आरोप के लिए कार्यालय आदेश संख्या–264–सह–पठित ज्ञापांक–3117 (ई०) दिनांक–21.08.2009 द्वारा निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया। ये दिनांक–11.06.2007 से बिना किसी सूचना के अपने मुख्यालय से अनुपस्थित हैं एवं इनके

द्वारा उपस्थिति पंजी में आपना उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। इस तरह ये अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए दोषी प्रतीत होते है।

2. संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–200 अनु० दिनांक–15.01.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री पासवान के विरूद्ध गठित तीनों आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया। संचालन पदाधिकारी का आरोपवार समीक्षा एवं विश्लेषण निम्नवत है :–

(i) श्री पासवान के दिनांक–11.11.1996 को स्थानान्तरित हो जाने के पश्चात् भी कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल के द्वारा लगभग 2.5 वर्षों तक उनसे कार्य करवाया जाता रहा तथा 2.5 वर्ष पश्चात् दिनांक–22.06.1999 को उन्हें विरमित किया गया। अतः श्री पासवान द्वारा ससमय स्थानान्तरित कार्यालय में योगदान नहीं करने के लिए उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता है।

(ii) कालान्तरण में मुख्य अभियंता (यातायात), उत्तर बिहार उपभाग के ज्ञापांक–161(सी) दिनांक–19.08.1999 के द्वारा कार्यपालक अभियंता के उक्त विरमन आदेश को अगले आदेश तक स्थगित करते हुए श्री पासवान को पूर्ववत् अपने पद पर बने रहने का आदेश निर्गत किया गया। ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन करते हुए विरमित हुए कार्यालय में योगदान किया जाना संभव नहीं था।

(iii) श्री पासवान के द्वारा दिनांक–14.09.1997 को एक अदद बिटुमेन भण्डार लेखा पंजी, छः अदद बिटुमेन स्थल लेखा पंजी एवं पाँच अदद मैटेरियल स्थल लेखा पंजी अर्थात् कुल बारह अदद पंजी कार्यपालक अभियंता, सुपौल को रिसिव कराने से संबंधित साक्ष्य/अभिलेख की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है। चूँकि श्री पासवान का कथन साक्ष्य आधारित है, इसलिए लेखा समर्पित नहीं करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(iv) जहाँ तक कनीय अभियंता के द्वारा कार्यपालक अभियंता के पत्र को प्राप्त किये जाने से इंकार करने का आरोप है, यह आरोप ही अस्पष्ट एवं ठोस साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। जैसे–पत्र श्री पासवान को किस माध्यम से प्राप्त कराने का प्रयास किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है, न हीं इस संबंध में आरोप पत्र के साथ कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है।

(v) जहाँ तक अनुपूरक आरोप का प्रश्न है उक्त आरोप अपने आप में विसंगत है, क्योंकि श्री पासवान को दिनांक–21.08.2009 को निलंबित किया गया तथा वे अगर मुख्यालय में योगदान नहीं देगें तो दिनांक–21.08.2009 से अनाधिकृत अनुपस्थित माने जायेंगे न कि दिनांक–11.06.2007 से। इसके अतिरिक्त आरोप पत्र में कार्य प्रमंडल, दरभंगा/मधुबनी से विरमन का आदेश भी बतौर साक्ष्य संलग्न नहीं है। उपस्थिति पंजी की छाया प्रति संलग्न की गयी है, लेकिन यह जून–2010, जुलाई–2010, अगस्त–2010 की है। दिनांक–11.07.2007 से उपस्थिति पंजी का कोई साक्ष्य नहीं लगाया गया है। साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराये गये उपस्थिति पंजी के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि श्री पासवान जून–2010 में 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 एवं 11 तारिख को उपस्थित थे। इस तरह पूरक आरोप साक्ष्य आधारित नहीं है तथा

आरोप की प्रकृति के अनुसार विसंगत है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा गठित मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राजेन्द्र प्रसाद पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रतिः सेवानिवृत कनीय अभियंता (दिनांक–31.01.2016) को आरोप मुक्त किया जाता है।

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक :–

ज्ञापांक :– निग/सारा–4 (पथ)–66/2003

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०प० उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्र०को०)/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14 एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री राजेन्द्र प्रसाद पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रतिः सेवानिवृत कनीय अभियंता पत्राचार पता–ग्राम + पोस्ट–मुखियारपुर, थाना–भगवानपुर, जिला–बेगूसराय** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक :– 19/02/2026

ज्ञापांक :– निग/सारा–4 (पथ)–66/2003 1310(6)

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

19/02/26

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

19.02.26